**संख्या-46/2022/421/002-23-14-2022-48जनरल/2017**

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**लोक निर्माण अनुभाग-14** **लखनऊ : दिनांक 29 जुलाई, 2022**

**विषय:-**अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 05 चालू कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-350/CE-HQ1/JYNN/ADY/2022-23, दिनांक 18.07.2022, पत्रांक- 351/CE-HQ1/JYNN/GKP/2022-23, दिनांक 18.07.2022, पत्रांक-352/CE-HQ1/JYNN/KNP/2022-23, दिनांक 18.07.2022, पत्रांक-353/CE-HQ1/JYNN/MBD/2022-23, दिनांक 18.07.2022 एवं पत्रांक-354/CE-HQ1/JYNN/MIR/2022-23, दिनांक 18.07.2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-58 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत निम्नलिखित सूची में उल्लिखित जनपदों की कुल 05 जिला योजना (नवनिर्माण) चालू परियोजनाओं हेतु सूची की तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित कुल स्वीकृत लागत धनराशि रू0 260.40 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-10 में उल्लिखित धनराशि रू0 60,37,000.00 (रूपये साठ लाख सैतीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्रम सं0 | खण्ड/जनपद का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृत / मूल लागत | दिनांक 31.03.22 तक आवंटन | दिनांक 01.04.22 को अवशेष | बचत | वर्ष 2022-23 में आवंटन | अद्यतन अवशेष | वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **नि.ख अमेठी** | ग्राम आशापुर रूरू में मो0 शाह के घर से मस्जिद तक | 18.74 | 14.99 | 3.75 | 0.04 | 0.00 | 3.71 | 3.71 |

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

| क्रम सं0 | खण्ड/जनपद का नाम | मार्ग का नाम | स्वीकृत / मूल लागत | दिनांक 31.03.22 तक आवंटन | दिनांक 01.04.22 को अवशेष | बचत | वर्ष 2022-23 में आवंटन | अद्यतन अवशेष | वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य । | | | | | | | |
| 2 | **प्रा.ख.कुशीनगर** | बेलवनिया स्थान से रामवर बुजुर्ग मार्ग से कछुईया सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य । | 66.23 | 24.50 | 41.73 | 17.43 | 0.00 | 24.30 | 24.30 |
| 3 | **प्रा.ख.फतेहगढ़** | दुल्लामई मार्ग से दनियाहीरा मन सम्पर्क मार्ग के नव निर्माण का कार्य । | 77.98 | 62.38 | 15.60 | 7.51 | 0.00 | 8.09 | 8.09 |
| 4 | **नि.ख-. अमरोहा** | सिरसा गुर्जर से जहतौली मार्ग का नव निर्माण कार्य । | 74.16 | 59.33 | 14.83 | 0.02 | 0.00 | 14.81 | 14.81 |
| 5 | **प्रा.ख.मिर्जापुर** | नीबी बिहसड़ा मार्ग से (भीलौरा) राम दुलार के घर से बसंतपट्टी गांव तक सम्पर्क मार्ग। शून्य से लेपन | 23.29 | 9.58 | 13.71 | 4.25 | 0.00 | 9.46 | 9.46 |
| | | **योग** | **260.40** | **170.78** | **89.62** | **29.25** | **0.00** | **60.37** | **60.37** |

**नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों**

1- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता तथा स्वीकृत मात्राओं की जिम्मेदारी निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तयरदायित्व प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी का होगा तथा कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो एवं कार्य समय से पूर्ण हो, यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में न रखी जाये। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

3- मिट्टी का कार्य मनरेगा से कराया जायेगा तथा मनरेगा अंश की धनराशि राज्य सरकार के खाते से अवमुक्त नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4- लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

5- धनराशि का आहरण उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाय।

6- आहरण के पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्य जिला योजना समिति से अनुमोदित है।

7- आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आबंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है ।

8- परियोजनान्तर्गत विभिन्न् निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें। जिन परियोजनाओं में सम्पूर्ण धनराशि आवंटित की जा चुकी है, उन परियोजनाओं को गुणवत्तायुक्त पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ्स सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा ।

9- निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बकन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

10- परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

11- परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध् करायी जाय।

12- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि जिला योजना (नवनिर्माण) चालू कार्य के अन्तर्गत उक्त सूची में उल्लिखित 05 कार्यों हेतु किसी भी स्थिति में उनकी स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि आवंटित न की जाय तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्तायुक्त पूर्णकर पूर्णता प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाय।

**2-** इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 60,37,000.00 (रूपये साठ लाख सैतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371318 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण मार्गों के चालू निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

**संख्या-46/2022/421/002-23-14-2022-48जनरल/2017 तद्दिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार,लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय,प्रयागराज ।
3- मण्डलायुक्त,सम्बन्धित मण्डल ।
4- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेन्ट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,सम्बन्धित जनपद के अनुसार।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग को उनके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18.07.2022 (05 पत्र) के संदर्भ में ।
7- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1)लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- मुख्य अभियन्ता,सम्बन्धित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग ।
9- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
10- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लांनिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड,प्रयागराज ।
11- वेब अधिकारी,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0,लखनऊ ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in